प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश

वित्त अनुभाग-2 कार्यालय ज्ञाप सं०-जी-2-2017/दस-2008-216/79 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। बीमारी, परीक्षा आदि विशेष परिस्थितियों में 18 वर्ष तक की आयु वाली सन्तानों की देखभाल करने हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किया गया है। यह व्यवस्था गोद ली गई सन्तानों के मामले में भी लागू की जा सकेगी।

ये व्यवस्थायें प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में लागू की गई। अन्य शर्तों के अधीन रहेंगी।

यह कार्यालय ज्ञाप राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर प्रभारी होगा।

❑❑❑

aanganwadiuttarpradesh.com

मूल शासनादेश

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या- जी-2-2017/दस-2008-216/79

लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79, दिनांक 04-6-1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश **(Child Care Leave)** अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनों व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामलें में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-6-1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू०जी०सी०,ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदो को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों